निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1943 (श0)

(सं0 पटना 590) पटना, वृहस्पतिवार, 8 जुलाई 2021

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

29 जून 2021

lE 08@vkjki&01&13@2020&6210@lkEiE—श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–567/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना के विरूद्ध नीलाम पत्र वादों में वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के कारण मामला लंबित होने एवं प्राथमिकी दर्ज वाद को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कराने में कोई अभिरूचि नहीं देखाने एवं कार्यो में लापरवाही/शिथिलता बरतने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–485 दिनांक 11.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा इसी बीच श्री ठाकुर दिनांक 30.04.2021 को वार्ध्यक्य सेवानिवृत्त हो गये है।

अतएव विभागीय पत्रांक–1893 दिनांक 14.06.2011 द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित मानी जायेगी।

vkn'k& vkn'k fn;k tkrk g fd bl ldYi dh ifr fcgkj jkti= d vxy vd e idkf'kr fd;k tk; rFkk bldh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fljktlhu vlkjh]
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 590-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in